Regd. No. 1305/2014-2015

ISSN : 2395-4965

Asian Journal of Advance Studies

An International Research Refereed Journal for Higher Education
A Multidisciplinary Research Journal for All

Quarterly Journal

October - December 2016

Vol. II | 2016 | No. 4

Editor- in- Chief

Anil Kumar

Faculty of Law
Banaras Hindu University
Varanasi

Asian Journal of Advance Studies

An International Research Refereed Journal Related to Higher Education

A Multidisciplinary Research Journal for All

Vol. II, No. 4, October-December, 2016, ISSN 2395-4965

Contents

Condition of Policing in India- A Sociological and Legal Study	*Dr. Vijay Kumar Saroj*	1-9
Right to Information Acts is a Harbinger of Good Governance in India: A Socio-Legal Study	*Dr. Mukesh Kumar Malviya*	10-16
Child Marriage in India: Factors and Problems	*Aarti Singh*	17-24
Institutions And Economic Performance	*Ravish Kumar Shukla*	25-30
Recognitions of Rebels in Libya and Syria: An Appraisal	*Shyam Nath Sah*	31-41
प्राचीन भारतीय कृषि में तिलहनी फसलें: पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आलोक में	*कमला राम बिन्द प्रभाकर उपाध्याय राहुल राज, सुनील कुमार*	42-45
भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एवं जात–पात विरोधी चेतना का विकास	*डॉ0कुलदीप पाण्डेय*	46-50
प्रगतिवादी काव्य : प्रकृति और मानव	*पवन कुमार सिंह*	51-55
मराठी दलित आत्मकथा का विकास	*झबलू राम*	56-59
राजनीति का बदरंग चेहरा और श्रीलाल शुक्ल की कहानियाँ	*अनीता देवी*	60-61
छायावादी काव्य : एक समग्र आकलन	*डॉ. सुजीत कुमार सिंह*	62-64
गिरती दीवारें : मध्यवर्गीय जीवन की सफल अभिव्यक्ति	*डॉ0 ज्योति दूबे*	65-67
भारतीय संदर्भ में प्रगतिवादी साहित्यिक आंदोलन का उदय	*डॉ0 कमलाकान्त यादव*	68-70
Legal Control Of E Banking System In India : A Critical Study	*Tosh Kumar Ranjan*	71-78
Novel Synthesis of Antiretroviral drug Zidovudine	*Uttam Singh*	79-83
Vocational Interests of student in the Era of Unemployment	*Dr. Shubhra Ojha*	84-88
Administration of Primary Education for the Migrated Children in India	*Ritesh Kumar Agarwal*	89-94

95-98	भारतेन्दु युगीन पत्र–पत्रिकाओं का महत्व	*राजीव कुमार मिश्र*	183-185
	Globalisation and the concerns of Immigrants and Refugees	*Shailendra Kumar*	186-194
99-102	Diffusion Of Transnational Law Into Domestic Laws And Norms: Monist And Dualist Theories	*Santosh Kumar*	195-202
103-105	Ground Water Depletion In India: Legal Framework And Challenges	*Brijesh Kumar Singh* *Megh Raj*	203-210
106-112	बिहार में समावेशी शिक्षा का विकास	*मीना कुमारी*	211-217
113-116	An analysis of International transportation services trade in India	*Shiva Abdi Pour*	218-225
117-119			
120-125			
126-130			
131-132			
133-137			
138-146			
147-153			
154-158			
159-163			
164-170			
171-175			
176-178			
179-182			

भारत में समावेशी शिक्षा का विकास

*मीना कुमारी**

विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा सरीखे शब्द शैक्षिक शब्दावली में विकलांग बच्चो की शिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होते रहे हैं। इनमें समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों और रणनीतियों पर शिक्षाविदों के बीच अवधारणात्मक विवाद रहा है। शब्दों की जुगाली करने वाले लोग इसे विशेष या एकीकृत शिक्षा से कुछ अलग कोई नई चींज नहीं मानते हैं। वे इन शब्दों का प्रयोग आपस में अदल–बदल कर करते हैं।

वास्तव में "समावेशी शिक्षा", शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन–पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसके तहत पठन–पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिये बाधा–रहित स्कूली माहौल का निर्माण कार्य भी शामिल है।"' शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशियें पर के वैसे बच्चे लाभान्वित होते हैं, जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने के लिये विशेष देख–भाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण अस्थि एवं अधिगम अक्षमता के साथ–साथ मानसिक मंदता और बधिरांधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता–पिता या अभिभावकों का सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होता है। लिहाज़ा वे अपने आपको समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। परिणामस्वरुप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते है। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5–10 फीसदी है। इसलिये ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना लाजिमी है।

शारीरिक रुप से बाधित बालकों के प्रति सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भूतकाल तथा वर्तमान में विशिष्ट प्रयासों का अभाव रहा है तथा इस ओर कभी ध्यान भी नहीं दिया गया। समाज तथा सभ्यता में परिवर्तन होने के साथ–साथ ही शारीरिक रुप से बाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होते गये। प्रथम चरण में तो बाधित व वंचित बालकों को अभिशाप समझा जाने लगा तथा माता पिता के द्वारा इन बालकों को बोझ समझा जाने लगा। दूसरा चरण शुरु होते ही इन बालकों को माता–पिता का थोड़ा सा संरक्षण प्राप्त होने लगा। परंतु फिर भी कहा गया कि अपंगता पूर्णतः बेकार है, ये स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ हैं, ये ऐसे जीव हैं, जो कृपा के पात्र है तथा जब तक ये जीवित हैं तब तक इनकी देखभाल करनी होगी।

अतः उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका तथा पुनर्वासन के बारे में प्रयास नहीं किये गये। अगली अवस्था में उनकी शिक्षा के लिये एक प्रयास किया गया, लेकिन बालकों को अन्य बालकों से अलग समझा गया। अंत में यह विचार किया गया कि इन बालकों के लिये अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाये। यह शिक्षा व्यवस्था बनाने हेतु ही विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया। 20वीं शताब्दी के शुरु होते ही नये–नये विचारों तथा धारणाओं का जन्म हुआ तथा यह समझा जाने लगा कि यदि विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाये तो समाज में अपंग बालकों को भी उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकती है। धीरे–धीरे राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत भी विशिष्ट शिक्षा को स्थान प्रदान किया गया। आज विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये तथा सरकारी नीतियों में समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया।

भारत में समावेशी शिक्षा का विकास –

*Assist. Prof.(Special Edu.) Guru Ghasidas University, Bilaspur(C.G.)